

परियोजना का नाम:-

मसूरी सीवरैज योजना

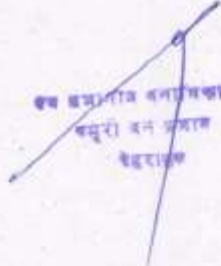
28

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


(प्रयोक्ता एजेंसी)
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)


वन क्षेत्र अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून


प्रभारी वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून
8
वन क्षेत्र अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग